EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB. SEC. (i)

Appearing on Pages Nos. 672—674
Dated ; 9-5-92

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

अधिसूचना

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1992

सा. का. नि. 214.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल समूह "ख" पद (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" पद (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण रिजर्व इंजीनियर बल समूह "ख" पद (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1982 में,—

(1) नियम 1 के उपनियम (1) में "(अराजपत्रित)" शब्द और कोष्ठक का लोप किया जाएगा।

(2) अनुसूची में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
1. मुख्य नक्शानवीस	4*(1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय।	2000-60-2300 — द. रो.- 75-3200 रु.	चयन

6	7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

12	13	14
प्रोन्नति 1600—2660 रु. के वेतनमान में ऐसे ज्येष्ठ नक्शानवीस, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 1600—2660 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 1400—2300/2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्थापत्य कला/नक्शानवीसी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य है।	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड — अध्यक्ष 2. डी. डी. बी. आर. —सदस्य 3. डी डी जा. (कार्मिक) डी. जी. बी. आर. मुख्यालय —सदस्य 4. उप सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण : (1) ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : मूल भर्ती नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 118, तारीख 5 फरवरी, 1983 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

[सं. एफ. 144(2)/1990-कार्मिक]
एम. आंजनेयल, अवर सचिव

NOTIFICATION

(Border Roads Development Board)

New Delhi, the 23rd March, 1992

G.S.R. 214.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Reserve Engineer Force Group 'B' posts (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1982, namely :—

1. (1) These rules may be called General Central Services, Group 'B' posts (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the General Reserve Engineer Force Group 'B' posts (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1982—

(1) in sub-rule (1) of rule 1, the brackets and words "(Non-Gazetted)" shall be omitted.

(2) In the schedule, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
1. Chief Draughtsman	4* (1992) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Selection

6	7	8	9	10
N.A.	N.A.	Not applicable	N.A.	2 years

11	12	13	14
By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Senior Draughtsmen in the pay scale of Rs. 1600—2660 with 3 years service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts in regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 1600—2660 or equivalent; or (iii) with 7 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) possessing 3 years Diploma in Architecture/Draughtsmanship from a recognized Institute or equivalent. Note : (1) The departmental officers in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (2) The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Deptt. of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 3 years.	Group 'B' DPC for considering promotion :— 1. Secretary, BRDB —Chairman 2. DGBR—Member 3. DDG (Pers) HQ DGBR—Member 4. Dy. Secretary BRDB —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

Note :—The principal Recruitment Rules were published under Notification No. GSR. 118 dated 05-02-1983.

[No. F. 144(2)/1990-Pers]

M. ANJANEYULU, Under Secy.

MGIPMRND—1036 GI/92—VII—10-6-92—300 Copies.